

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम
बनाम

प्रतिवादीगण

हेमा राम

मुकदमा नं.- 30 / 2017

प्रकरण : राजस्व वाद

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये।
08.17	<p>यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 53,88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 07.04.2017 को पेश हो।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
7-4-17	<p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक. 5-5-17...को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
17.7.17	<p>पत्रावली न्याय क्लर्क के द्वारा शिफ्ट सुकालि पर आज पेश हुयी</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक. 2-8-17...को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
2-8-17	<p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक. 01-9-17...को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
1-9-17	<p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक. 19-1-18...को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	
19.1.18	<p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक. 11-5-18...को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p>	

28/10/17 कलक्टर अज अदालत के पीठासीन अधिकारी के अहकाम 14.12.17

पु.का/8मा/20
3017

हुकम या कार्यवाही इतिशिलस जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

1518
25 पत्रावली सफुन वरुणाय उपस्थित।
पत्रावली वाले कपल प्रकाश कार्यावाही
एवं कपल वाली हेतु आदिना दिनांक
22/09/2023 को पेज ही

22/09
23 **व्यवहार/प्रकारान के अधिनियम**
पीठाली 4 अधिनियम के अधिनियम के प्रथम
अध्याय पर भाग 2, 3, 4 अधिनियम प्रकाश
उनके समक्ष दिनांक 20/11/2023 को
प्रस्तुत करें।

20/11
23 **व्यवहार/प्रकारान के अधिनियम**
पीठाली 4 अधिनियम के अधिनियम के प्रथम
अध्याय पर भाग 2, 3, 4 अधिनियम प्रकाश
उनके समक्ष दिनांक 20/11/2023 को
प्रस्तुत करें।

10/11
24 **व्यवहार/प्रकारान के अधिनियम**
पीठाली 4 अधिनियम के अधिनियम के प्रथम
अध्याय पर भाग 2, 3, 4 अधिनियम प्रकाश
उनके समक्ष दिनांक 20/11/2023 को
प्रस्तुत करें।

15103
24 पत्रावली सफुन वकिल वाली प्रतिवादी
10 के कपल प्रकाशन की तलकी एवं
प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
की तलकी हेतु मजदूर सफुन कठे वकिल वाली
ने पूर्व में शर्चना पत्र अ.22 R3 CPC का
बाधनी सुनी देनी के जौन से जाने पर प्रस्तुत
किया हुआ है। पत्रावली बाधने तलकी
एवं जवान शर्चना पत्र हेतु आदिना
दिनांक 03.05.2024 को पेज ही

3/5
24 **व्यवहार/प्रकारान के अधिनियम**
पीठाली 4 अधिनियम के अधिनियम के प्रथम
अध्याय पर भाग 2, 3, 4 अधिनियम प्रकाश
उनके समक्ष दिनांक 20/11/2023 को
प्रस्तुत करें।

विभागाध्यक्ष कलकत्ता
(ए.डी.ओ.) काबल

पु.का/8मा/20
3017

हुकम या कार्यवाही इतिशिलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी है।

पत्रावली सफुन पत्रावली साबिक
आदिनांक 12.08.2024 को पेज ही

22/12
24 **व्यवहार/प्रकारान के अधिनियम**
पीठाली 4 अधिनियम के अधिनियम के प्रथम
अध्याय पर भाग 2, 3, 4 अधिनियम प्रकाश
उनके समक्ष दिनांक 20/11/2023 को
प्रस्तुत करें।

20/11
24 **व्यवहार/प्रकारान के अधिनियम**
पीठाली 4 अधिनियम के अधिनियम के प्रथम
अध्याय पर भाग 2, 3, 4 अधिनियम प्रकाश
उनके समक्ष दिनांक 20/11/2023 को
प्रस्तुत करें।

15110
24 पत्रावली वकिल वाली इला पत्रावली
का भाग तारिख पेज पर लेने का
सा.पत्र सफुन हीरे पर भाग पेज हीरे
वकिल वाली ने शर्चना (एडी संख्या 1/1)
कि जोर से पत्रावली को जलिये विद्वान
छादिना कठे का शर्चना पत्र पेज हीरे
शर्चना उप. जिपनी पहचान अधि. P.S.
वाही ने भी सा. पत्र पर वकिल वाली
को हुगा गया वकिल वाली के निर्देशन
जिपनी भी पत्रावली के मध्य भाग अदालत
की माबता से वाकीनाग से गया है
उपलिय सभक को जागे वही जापाना
चाहे है। पत्रावली का भाग वकिल वाली
गया। पत्रावली में अ.व. B.R. का

अवकाश
Jdeshid
24
(प्रशासकीय)

विभागाध्यक्ष कलकत्ता
(ए.डी.ओ.) काबल

cont...
P.T.O.

ने का. स्तंभ पेना किप्ट हुआ है किप्ट
 पर अमि. B.K. ठाका ने no objection
 किया। अतः बाकी शेष पत्रावली को
 जदिये विदेशी अतिरिक्त कवये का सार्व...
 पत्र के आधार पर पत्रावली को इसी
 क्रम पर अतिरिक्त किया जाय है
 पत्रावली फासल कृपा होकर दाखिल
 दाखल है

सहायक कमिश्नर
 (विशेषीय) कापल